



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून
PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

आयोग द्वारा निर्गत प्रारूप उविनिआ (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (पंचम संशोधन) विनियम, 2021 [Draft UERC (Appointment & Functioning of Ombudsman) (Fifth Amendment) Regulations, 2021] पर सुझाव आमंत्रण।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 एवं धारा 42 की उपधारा 6 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्गत प्रारूप उविनिआ (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (पंचम संशोधन) विनियम, 2021 [Draft UERC (Appointment & Functioning of Ombudsman (Fifth Amendment) Regulations, 2021] जारी किया गया है। प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

- उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियाँ/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 16.04.2021 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
- निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।